

संस्थान के परिसर में स्थित  
हॉल-7 में कैंटीन चलाने हेतु

निविदा प्रपत्र

निविदा सं. 07/2019-20

सम्पदा कार्यालय

भा. प्रौ. सं. कानपुर  
द्वारा जारी



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर  
संपदा कार्यालय

कक्ष संख्या 101 डी (संकाय भवन)

(दूरभाष: 0512-259-7166, 7327)

# भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय (दूरभाष: 0512-259-7166, 7327)

कक्ष संख्या 101-D (संकाय भवन)

निविदा संख्या व दिनांक	07/2019-20 दिनांक 23.08.2019
कार्य / सेवा का नाम	कैंटीन चलाने हेतु
कार्यस्थल	हॉल-7
दुकान का क्षेत्रफल	53.60 वर्ग मीटर
मासिक लाइसेन्स शुल्क की आधार दर	Rs.106.00/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह
बयाना राशि (ईएमडी)	Rs.10,000/-
आउटलेट / शॉप की कार्यावधि	अपराह्न 2.00 बजे से रात्रि 02.00 बजे तक
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	16.09.2019 को अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा जमा करने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, भा.प्रौ.सं. कानपुर – 208016
तकनीकी बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	16.09.2019 को अपराह्न 4.00 बजे
वित्तीय बोलियाँ खोलने की तिथि और समय	16.09. 2019 को अपराह्न 4.30 बजे
निविदा खुलने का स्थान	सम्पदा कार्यालय, भा.प्रौ.सं. कानपुर – 208016
निविदा डाउनलोड करने का वेब लिंक	<a href="http://www.iitk.ac.in/estateoffice/tender">www.iitk.ac.in/estateoffice/tender</a>

# भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

## सम्पदा कार्यालय

निविदा सूचना सं. 07 /2019-20

दिनांक: 23 अगस्त 2019

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर (एतद्पश्चात् 'संस्थान' के रूप में उल्लेख किया गया है) की स्थापना संसद द्वारा की गई है जिसे निगमित निकाय के रूप में सम्मिलित किया गया है इंडस्ट्रीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 के तहत संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित किया गया है। संस्थान प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम स्तर की शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रहा है।

पृष्ठ संख्या-2 के अनुसार संस्थान के पास एक परिसर उपलब्ध है जिसको संस्थान ऐसे इच्छुक व्यक्ति को लाइसेंस के आधार पर अपने स्वामित्व/प्रभुत्व के तहत इस प्रकार की दुकान को संचालित करने के लिए देना चाहता है जिनके पास इस प्रकार का आउटलेट चलाने का अनुभव हो और संस्थान समुदाय की संबन्धित जरूरतों की पूर्ति कर सके।

तदनुसार, सीलबंद बोली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की ओर से इच्छुक पार्टियों से परिसर में उपरोक्त स्थान पर इस तरह की दुकान चलाने के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है।

आवेदक द्वारा विधिवत भरे गए निर्धारित निविदा प्रपत्र को सम्पदा कार्यालय में पृष्ठ संख्या-2 में दिये गए समय एवं दिन के अनुसार निविदा बॉक्स में डाल सकते हैं।

1. निविदाएं पृष्ठ संख्या-2 में उल्लिखित समयानुसार संस्थान की निविदा समिति के समक्ष तथा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोली जाएगी। बोलीदाता को प्रस्तुति के लिए निविदा समिति के समक्ष (अपनी कंपनी / फर्म की कार्यप्रणाली से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने हेतु) साक्षात्कार देना होगा।
2. केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां पृष्ठ संख्या-2 में दिये गए दिनांक और समय के अनुसार खोली जाएंगी।
3. संस्थान बिना कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

-----ह-----

सहायक कुलसचिव व  
प्रभारी अधिकारी, सम्पदा

प्रतिलिपि:

1. उपनिदेशक
2. डीन, प्रशासन
3. अध्यक्ष, सीईएमएमसी
4. कुलसचिव
5. सूचना पट्ट
6. संस्थान की वेबसाइट

**परिशिष्ट-ए**  
**निविदाकर्ता के लिए दिशानिर्देश**

**सामान्य:**

1. यह अनुबंध भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कैंटीन चलाने के लिए है। यह अनुबंध सफल बोलीदाता को उल्लिखित व्यवसाय, लाइसेंस के आधार पर आगे निर्दिष्ट नियम व शर्तों पर चलाने हेतु दिया जाएगा। अनुबंध की नियम व शर्तें परिशिष्ट-बी में समाहित हैं।
2. यदि बोलीदाता एक स्वामित्व फर्म है तो बोलीदाता के हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और यदि बोलीदाता एक साझेदार फर्म है तो एक पार्टनर द्वारा हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होने चाहिए। हालांकि, साझेदारी वाली फर्म के मामले में, सभी सहयोगियों से इस संबंध में एक प्राधिकरण होना चाहिए कि भागीदार के रूप में बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को सभी भागीदारों की तरफ से बोली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है।
3. यदि बोलीदाता एक कंपनी है, तो सक्षम प्राधिकारी / बोर्ड संकल्प द्वारा वैध प्राधिकरण पत्र होना चाहिए। उक्त प्राधिकृत व्यक्ति कंपनी की तरफ से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर बोली देने का अधिकारी होगा।
4. यदि कोई बोली प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर नहीं की गई है और प्राधिकरण रहित है, तो ऐसी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
5. बोली दस्तावेज में कोई भी अधिलेखन या कटौती नहीं की जानी चाहिए। यदि कुछ अपरिहार्य कारणों से अधिलेखन या काटना पड़ता है, तो उस व्यक्ति को बोली दस्तावेज पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर कर के प्रमाणित करना चाहिए।
6. निविदाकर्ता को निविदा पत्र में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। इस तरह के परिवर्धन और परिवर्तन को निविदाकार अपने जोखिम पर जमा करेंगे और इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। सशर्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
7. निविदाकार अनुलग्नक-1 के अनुसार अपना पूर्ण स्थायी और पत्राचार पता संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करे।
8. जिस बोलीदाता की बोली को स्वीकार किया जायेगा, उसे दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध करार तैयार करने के लिए सम्पदा कार्यालय में 100 रुपये का गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर प्रस्तुत करना होगा।
9. अनुलग्नक- 1 के भाग ३ में सभी वस्तुओं की कीमत भारतीय रुपए में उद्धृत की जानी चाहिए जो कि जीएसटी व अन्य सरकारी करों सहित होनी चाहिए।

**पात्रता मापदंड:**

10. बोली लगाने वाले को सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय / प्रतिष्ठित संस्थान में इस तरह का आउटलेट चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता अपने अनुभव/ क्षमता के पर्याप्त प्रमाण के साथ आवेदन कर सकते हैं।
11. आउटलेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोलीदाता के पास कार्यशील पूंजी के मामले में अच्छी वित्तीय स्थिति होना चाहिए. बेहतर वित्तीय स्थिति वाले व्यक्ति / फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।
12. बोलीदाता के पास पैन नंबर और जीएसटी / जीएसटीआईएन नंबर का पंजीकरण होना आवश्यक है। जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी, उसे, यदि संबंधित कानून आवश्यक है तो, आउटलेट के लिए एक जीएसटी नंबर रजिस्टर कराना होगा ,
13. बोलीदाता के पास संबंधित विभागों के कानपुर कार्यालयों से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत अपना कोड नंबर होना चाहिए।
14. जिस बोलीदाता के पास संस्थानपरिसर में पहले से ही एक अन्य प्रतिष्ठान / दुकान / आउटलेट/शॉप आदि है उस फर्म को वर्तमान आउटलेट के प्रदर्शन के आधार पर बोली स्वीकार की जाएगी। जिस बोलीदाता के पास संस्थान परिसर में पहले से ही दो या दो से अधिक प्रतिष्ठान / दुकान / आउटलेट/शॉप आदि है , उस बोलीदाता की बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी बोलीदाता का संस्थान के साथ पहले से ही किसी भी प्रकार की मुकदमेबाजी चल रही है तो उस बोलीदाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से वर्जित किया जाएगा। कर्मचारी व छात्रों के रिश्तेदारों को बोली प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

**बयाना राशि (ईएमडी)**

15. प्रत्येक निविदा के साथ रु०10,000/- की ईएमडी एफ़डीआर / टीडीआर / डीडी के रूप में किसी भी अनुसूचित बैंक से 'Registrar, IIT Kanpur' के नाम देय होनी चाहिए, जमा करना अनिवार्य है। उक्त ईएमडी के बिना डाली गयी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ईएमडी राशि चेक के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।
16. यदि सफल निविदाकर्ता समझौते पर हस्ताक्षर करने में देरी, बहानेबाजी, या इनकार करता है तो उसके द्वारा जमा किया गया बयाना राशि क्षति के रूप में जब्त किया जा सकता है।  
यदि सफल निविदाकर्ता अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन में अपना निविदा वापस ले लेता है और जो अपनी वैधता की अवधि के भीतर अपनी निविदा स्वीकार करने के बाद अनुबंध बांड पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा किया गया बयाना धन जब्त किया जा सकता है।
17. बोली लगाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद असफल बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

(क) संबंधित बोलीदाता के लिखित अनुरोध की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर ईएमडी राशि लौटा दिया जाएगा।

(ख) ईएमडी न्यूनतम तीन महीनों की अवधि के लिए मान्य होना चाहिए।

(ग) सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि, परिशिष्ट-ब मे दी गई शर्तों में निर्धारित जमानत राशि जमा करने के बाद वापस किया जाएगा।

### निविदा के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़:

18. बोली लगाने वाले व्यक्ति को तकनीकी बोली (Technical bid) के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करनी होगी। उल्लिखित दस्तावेजों के बिना यदि कोई तकनीकी बोली जमा की जाती है तो उसे सीधे पर निरस्त किया जा सकता है।

(क) आयकर प्रमाण पत्र/ पैन नम्बर।

(ख) पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट।

(ग) फर्म /कंपनी पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(घ) जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र नम्बर।

(ङ) ईपीएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र/ कोड नम्बर/ ईएसआई पंजीकरण प्रमाण पत्र /कोड नम्बर।

(च) अन्य वैधानिक पंजीकरण लाइसेंस (यदि कोई है)।

(छ) बैंक सोलवेंसी सर्टिफिकेट।

(ज) अनुलग्नक -1 में बोली जमा करने वाली फर्म का विवरण (पार्ट 1, 2 & पार्ट -3)।

(झ) वर्तमान में बोलीदाता द्वारा चलाए जा रहे दुकानों की कुल संख्या (पांच से अधिक नहीं) एवं उनका विस्तृत विवरण

(ञ) अंकेक्षित तुलन पत्र के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों के कुल कारोबार एवं लाभ / हानि सहित लाभ एवं हानि खाता का प्रमाण पत्र

(ट) निविदा जमा करने वाली फर्म की ओर से निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार-पत्र/संकल्प पत्र

(ठ) रु० 10,000/- (दस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट बयाना राशि के रूप में।

(ड) आवेदक के पते का प्रमाणपत्र की प्रति।

(ढ) FSSAI प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)।

(ण) फर्म / व्यक्ति के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की विवरण / सूची

(त) आवश्यक समझे जाने वाले अन्य दस्तावेज जो निविदा दस्तावेज प्रावधानों के तहत अनिवार्य हों तथा जिनका उल्लेख ऊपर न किया गया हो।

### निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

19. निविदा दो भागों में प्रस्तुत की जाएगी : (i) तकनीकी बोली और (ii) वित्तीय बोली

(i) **तकनीकी बोली:** तकनीकी बोली में संपूर्ण निविदा दस्तावेज जिसमें परिशिष्ट-ए, परिशिष्ट-बी और अनुबंध-1 (पार्ट १, २ एवं ३) में शामिल है। इसके साथ-साथ, विंदु-18 में दिये गए दस्तावेजों को भी संलग्न किया जाय। तकनीकी बोली को एक सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "तकनीकी बोली" साथ ही उस दुकान का नाम और स्थान लिफाफे पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

(ii) **वित्तीय बोली:**

(क) वित्तीय बोली संलग्नक २ में प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) इस दस्तावेज के पृष्ठ 2 पर आधार दर का उल्लेख किया गया है। बोलियां जमा करने की तारीख पर बोली लगाने के लिए आधार लाइसेंस शुल्क (आधार दर) के अनुसार होगा। जैसा की, बोलीदाताओं को उक्त आधार दर के ऊपर अपनी वित्तीय बोलियाँ उद्धृत करनी पड़ती हैं।

(ग) आधार दर के बराबर या उससे नीचे प्रस्तुत की बोली स्वीकार नहीं की जाएगी तथा साफ़ खारिज कर दी जाएगी।

(घ) संस्थान लाइसेंस शुल्क के आधार दर के बराबर लाइसेंस शुल्क मानदंडों के अनुसार संस्थान के खाते में जमा करने के लिए हकदार / सक्षम होगा और बाकी यानी बोली में निर्धारित उच्च दर से बाहर की शेष राशि संस्थान के विवेक पर किसी अन्य खाते प्रमुख में जमा की जा सकती है।

(ङ) वित्तीय बोली को एक अलग मुहरबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिस पर लिखा हो "वित्तीय बोली" साथ ही उस दुकान का नाम और स्थान लिफाफे पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए।

(च) तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों को एक अलग लिफाफे में सीलबंद किया जाय। उसके बाद सम्पदा कार्यालय कमरा सं. 101-डी (संकाय भवन), भा.प्रौ.सं. कानपुर में रखे गए निविदा पेटी में, पृष्ठ सं. 2 पर किए गए निर्धारित दिन और समय के अनुसार डाला जा सकता है। एक ही लिफाफे में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली डालने वाले निविदादाता की बोली को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाएगा।

20. पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट तिथि एवं समय के पश्चात कोई भी निविदा प्राप्त होती है तो उस निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण (जैसे कि डाक की गलती से निविदा जमा करने में हुई देरी) पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
21. निविदा खुलने के पश्चात निविदा 30 दिन के लिए वैध होगी। निविदा जमा करने के पश्चात यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले व्यक्ति ने 30 दिन की अवधि की स्वीकृति हेतु निविदा को खुला रखा जाएगा। इस प्रकार 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में उसको अपनी निविदा वापस लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि 30 दिन की अवधि के पश्चात लाइसेंसधारक को इसकी स्वीकृति की सूचना दी जाती है तो निविदाकर्ता को इसे अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।

#### निविदाओं का खुलना:

22. सबसे पहले पृष्ठ सं. 2 पर दिये गए दिन एवं समय के अनुसार बोली लगाने वाले अधिकृत प्रतिनिधियों और संस्थान की निविदा समिति के सदस्यों के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जाएगी। बोली लगाने वाले व्यक्तियों को प्रस्तुतिकरण / साक्षात्कार हेतु (अपनी कंपनी / फर्म की कार्य-प्रणाली से संबन्धित सवाल के संतुष्ट जबाब देने के लिए) समिति के समक्ष प्रस्तुत होना होगा। इसके पश्चात केवल तकनीकी रूप से योग्य पायी गयी निविदाओं की वित्तीय बोली पृष्ठ सं. 2 पर निर्दिष्ट तारीख और समय के अनुसार खोली जाएगी।
23. जिस भी निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत की जाती है वह निविदा मिलने के 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि संबंधित व्यक्ति 10 दिन के अन्दर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान अपने विवेकाधिकार पर निविदा को रद्द कर सकता है।

#### निविदा मूल्यांकन के मानदंड

24. पिछले प्रदर्शन या ब्रांड वैल्यू के आधार पर तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान बोली लगाने वालों को 0.8 से 1.2 की सीमा में मूल्य समायोजन फैक्टर दिया जायेगा। केवल तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। अनुबंध उस बोलीदाता को दिया जाएगा, जो न्यूनतम योग (मूल्य समायोजन फैक्टर X बोली में बेटेड कीमतों का योग) होगा।

#### निविदा की स्वीकृति / अस्वीकृति

25. वह बोलीदाता जिसकी वित्तीय बोली उच्चतम होगी, को उक्त परिसर में परिचालन चलाने के लिए निविदा प्रदान की जाएगी। हालाँकि इस निविदा की यह शर्त है कि उक्त परिसर में पहले से मौजूद लाइसेंस को दुकान / परिसर में कब्जे का पहला अधिकार होगा, बशर्ते मौजूदा लाइसेंसधारी प्राप्त उच्चतम बोली की दरों से मेल खाने के लिए तैयार हो और उसने तकनीकी बोली मूल्यांकन उत्तीर्ण किया हो।
26. ऐसी निविदाएं जो उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करतीं अथवा किसी भी रूप में अधूरी हैं को निरस्त माना जाएगा।
27. बिना कोई कारण बताए संस्थान के पास किसी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार/ अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है तथा बोली लगाने वाले व्यक्ति के पास इसको चुनौती देने अलावा कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

निविदाकर्ता का नाम \_\_\_\_\_

पूरा पता \_\_\_\_\_

टेलीफोन / मो. नं. \_\_\_\_\_

### अनुबंध संबंधी नियम एवं शर्तें

#### अनुबंध का दायरा

1. इस अनुबंध में पेय पदार्थ एवं सूची में उल्लिखित समस्त खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त स्नैक्स तैयार करने के लिए अपेक्षित समस्त कच्चे माल की जरूरी व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त इस अनुबंध में खाद्य पदार्थों को तैयार एवं उपलब्ध कराने हेतु समस्त सामग्री एवं उपकरणों के साथ-साथ ग्राहकों को तैयार खाद्य सामग्री परोसने की व्यवस्था भी शामिल है। इस अनुबंध में परिवहन, सामग्री की लागत एवं आउटलेट/शॉप में कार्य करने वाले व्यक्तियों का वेतन भी शामिल है। लाइसेंसधारक को सामग्री के सुरक्षित भण्डारण एवं अपने कर्मचारियों के रहने की स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

#### परिभाषा

2. इस अनुबंध में निविदाकर्ता के लिए निम्नलिखित परिभाषा, शब्द एवं अभिव्यक्तियां विनिर्दिष्ट की गई हैं का अनुबंध में उल्लिखित का ही प्रयोग किया जाएगा।
  - (क) "सी.ई.एम.एम.सी." से तात्पर्य निदेशक द्वारा गठित 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान जाँच एवं प्रबंधन समिति' से है।
  - (ख) "कांटेक्टर" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, फर्म या कंपनी से है जिसकी निविदा संस्थान द्वारा स्वीकृत की गई हो। इसमें लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी एवं स्वीकृत वारिस शामिल होंगे।
  - (ग) "निदेशक" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के निदेशक से है।
  - (घ) "संस्थान" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से है जिसका प्रतिनिधित्व निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि होगा।
  - (ङ) "प्रभारी अधिकारी (संपदा)" से तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के संपदा कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से है जो इस अनुबंध से संबंधित समस्त प्रशासनिक कार्रवाई को निष्पादित करेंगे।
  - (च) "वार्डेन" से तात्पर्य संबन्धित महिला छात्रावास टावर के वार्डेन-इंचार्ज तथा अन्य वार्डेन से है।

#### अनुबंध संबंधी दस्तावेज

3. परिशिष्ट A, अर्थात्, बोलीदाताओं के लिए दिशानिर्देश, परिशिष्ट B, अर्थात्, अनुबंध की नियम और शर्तें, आवेदन / घोषणा (अनुलग्नक-1 में भाग I और II), मात्रा और कीमतों का शेड्यूल (अनुलग्नक-I का भाग III), अनुलग्नक-II में वित्तीय बोली, संस्थान द्वारा सफल बोलीदाता को जारी किए गए अधिनिर्णय अनुबंध और इस संबंध में सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत स्वीकृति पत्र, इस अनुबंध का अभिन्न अंग होगा।

#### अनुबंध की अवधि

4. संविदा की अवधि शुरुआत में, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से, एक साल के लिए होगी। पहले तीन महीनों परिवीक्षा की अवधि होगी और परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक पूरा होने पर, अनुबंध को स्वचालित रूप से शेष वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, अर्थात् अगले नौ महीने। इसके बाद, पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध दो साल तक बढ़ाया जाएगा (एक बार में एक वर्ष)। किसी भी परिस्थिति में अनुबंध पांच साल से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा।

#### लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं लाइसेंसधारी भवन के लिए अन्य प्रावधान

5. लाइसेंसधारक को हर महीने की प्रत्येक 7 तारीख को नियमित रूप से आउटलेट/शॉप के लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। हालांकि संस्थान के निर्णयनुसार उक्त लाइसेंस शुल्क में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। सफाई शुल्क का भुगतान संस्थान में मौजूदा दर के अनुसार अलग से करना होगा।
6. यदि उपरोक्त अवधि के दौरान लाइसेंस शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त संचयी आधार पर विलंब शुल्क के रूप में 100 प्रतिमाह के हिसाब से भुगतान करना होगा।

7. लाइसेंसधारक को वास्तविक विद्युत खपत के आधार पर उस समय की विद्युत दर के हिसाब से संपदा कार्यालय में बिजली बिल का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान भी करना होगा। इस उद्देश्य हेतु संस्थान द्वारा आउटलेट/शॉप में एक विद्युत मीटर लगाया जाएगा। हालांकि बिजली की दरों में समय-समय पर परिवर्तन / संसोधन हो सकता है। ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक को उस समय की परिवर्तित दरों के हिसाब से बिजली बिल का भुगतान करना होगा।
8. हालांकि यदि लाइसेंसधारक समय पर विद्युत बिल का भुगतान नहीं करता तो उसे वास्तविक देय (बिल) के अतिरिक्त उसका 5 प्रतिशत विलंब शुल्क के रूप में देना होगा। इसके अलावा, यदि बिजली की खपत का भुगतान तीन महीने तक बकाया है तो इस संबंध में कोई नोटिस दिए बिना बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा।
9. यदि लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस शुल्क, विद्युत शुल्क एवं सफाई शुल्क का समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो इसे अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उल्लिखित अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
10. लाइसेंसधारक संबंधित परिसर का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए संस्थान द्वारा उसे यह दिया गया है केवल उसी उद्देश्य के लिए कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि लाइसेंसधारक अन्य किसी दूसरे उद्देश्य के लिए परिसर का प्रयोग करता है तो उल्लिखित अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
11. संपदा कार्यालय की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक इस परिसर का इस्तेमाल आवासीय उद्देश्य अनुबंधित (जिस वस्तु को बेचने की अनुमति दी गई है, उनके अलावा किसी अन्य वस्तु को बेचना भी शामिल है) अथवा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं करेगा। लाइसेंसधारक परिसर का इस्तेमाल ऐसे बुद्धिमानी एवं सावाधानीपूर्वक तरीके से करेगा जैसे कि यह परिसर उसका खुद का हो।

#### समय, मेन्यू, मूल्य, सुविधाएं एवं सेवाएं इत्यादि

12. आउटलेट/शॉप का समय अपराह्न 02.00 बजे से रात्रि 02.00 बजे तक होगा। इस समयवधि के पश्चात आउटलेट/शॉप का संचालन करने के लिए संपदा कार्यालय की, छात्रावास के मामले में वार्डन के माध्यम से, पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
13. आउटलेट/शॉप सप्ताह में सातों दिन संचालित की जाएगी तथा संपदा कार्यालय के पूर्व अनुदेश अथवा अनुमोदन के बगैर किसी भी परिस्थिति में कोई अवकाश नहीं रहेगा।
14. अनुलग्नक-1 के भाग-३ में में दर्शाई गई समस्त खाद्य वस्तुएं आउटलेट/शॉप में उपलब्ध रहनी चाहिए। हालांकि संस्थान स्वप्रेरणा से (छात्रावास की दशा में वार्डन इंचार्ज के माध्यम से छात्रावास कार्यकारी समिति की सिफारिश पर) मेन्यू/अनुलग्नक-2 में दर्शाई गई खाद्य सामग्रियों की सूची में जोड़ / घटाव कर सकता है। इस संबंध में समस्त आदेश संपदा कार्यालय द्वारा जारी किये जाएंगे।
15. उम्मीद की जाती है कि अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान अनुलग्नक-1 में दर्शाई गई समस्त खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेगी। खाद्य वस्तुओं की बाजार दर एवं आउटलेट/शॉप कर्मियों के वेतन में वृद्धि के कारण लाइसेंसधारक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा। हालांकि सी.ई.एम.एम.सी. अपने विवेक तथा लाइसेंसधारक एवं वार्डन इंचार्ज के साथ परामर्श करके मूल्य सूचकांक, जैसा कि <http://www.mospi.gov.in/#> उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र के लिए दर्शाया गया, में हुए संपूर्ण परिवर्तन के अनुपात में तिमाही आधार पर खाद्य वस्तुओं की दरों में संसोधन कर सकती है। मूल्य सूचकांक तृतीय पक्ष के वस्तुओं पर लागू नहीं होगी।  
हालांकि, कीमतों में सभी प्रकार के परिवर्तन एक रुपये के गुणांक में होंगे।
16. आउटलेट/शॉप के संबंध में, समस्त आवश्यक एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं संस्थान की तरफ से संबंधित छात्रावास द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
17. भीम / यूपीआई, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इत्यादि द्वारा भुगतान की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
18. अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के 10 दिन के भीतर उपयुक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए लाइसेंसधारक द्वारा (संस्थान के संचार विभाग के माध्यम से) 4 डिजिट वाला कैंपस टेलीफोन उपलब्ध होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर भी रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर संस्थान के अधिकारी संपर्क कर सकें। लाइसेंसधारक द्वारा खाद्य पदार्थों की दर-सूची को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड के ऊपरी किनारे पर इस 4 डिजिट कैंपस टेलीफोन का नम्बर दर्शाया जाएगा।
19. ठेकेदार अपने 4 अंकों के कैंपस टेलिफोन को सूचना पट्टों जो वस्तुओं की कीमतें प्रदर्शित करेगा, के एक शीर्ष छोर पर प्रदर्शित करेगा। इसके अलावा, लाइसेंसधारक अपनी दुकान पर एक 12 इंच x 18 इंच आकार का डिस्प्ले बोर्ड बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी:



नाम  
दुकान नं और स्थान  
मोबाइल नंबर  
लैंडलाइन नंबर  
समय  
साप्ताहिक बंदी  
अनुज्ञापत्र क्रमांक  
वैद्यता

20. सभी सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अग्निशामक (2 कि.ग्रा. एवं 4.5 कि.ग्रा. सूखा) एवं रेत से भरी हुई बाल्टी सुलभ जगह पर उपलब्ध तथा चालू हालत में होनी चाहिए। आपातकालीन नम्बरों को प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आकस्मिक स्थिति के लिए प्राथमिक चिकित्सा संबंधी दवाईयां एवं अन्य समान आउटलेट/शॉप उपलब्ध होने चाहिए।
21. खाद्य सामग्रियों एवं उनकी दरों से संबंधित सूची को पठनीय फॉन्ट में आउटलेट/शॉप के प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। खाद्य सामग्री एवं दर से संबंधित मुद्रित प्रपत्र मेज पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त प्रपत्र मांगे जाने पर ग्राहक को उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
22. लाइसेंसधारक को ग्राहकों की संतुष्टि के लिए उपयुक्त एवं निर्विघ्न सेवाएं उपलब्ध करानी होंगी।
23. लाइसेंसधारक द्वारा परिसरवासियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए लाइसेंसधारक स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्थान की इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस संबंध में होने वाली किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में भागीदार होगा।
24. निविदा अनुबंध के अनुसार निर्धारित समस्त प्रकार की खाद्य वस्तुएं हर समय आउटलेट/शॉप में उपलब्ध रहनी चाहिए। व्यंजन सूची में किसी भी प्रकार के परिवर्तन अर्थात् जोड़ या घटाव के लिए संबंधित खाद्य पदार्थ की दर के साथ संपदा कार्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
25. नगद भुगतान करने में असमर्थ ग्राहकों के लिए लाइसेंसधारक को स्वाइप मशीन उपलब्ध करानी होगी। इसके अतिरिक्त आउटलेट/शॉप के अन्दर UPI आधारित पेमेंट सिस्टम भी उपलब्ध कराना होगा। लाइसेंसधारक को स्क्रीन पर अपने VPA (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) अथवा Q-Code प्रदर्शित करना होगा ताकि ग्राहक UPI ऐप (भीम अथवा समकक्ष) के माध्यम से अपना भुगतान करने में समर्थ हो सके।

#### **वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) व अन्य करों की देयता**

26. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप के अन्दर विक्रय की गई वस्तुओं पर संबंधित विभाग को जीएसटी के भुगतान के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। इस संबंध में संस्थान हर प्रकार की देयता से मुक्त समझा जाएगा।
27. इसके अतिरिक्त समय-समय पर लागू दर के हिसाब से लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क पर संस्थान को जीएसटी का भुगतान करना होगा। लाइसेंसधारक को लाइसेंस शुल्क के भुगतान करने पर संबंधित कार्यालय द्वारा लेखा उद्देश्यों हेतु जीएसटीआईएन सहित कर चालान रसीद जारी किया जाएगा।
28. लाइसेंसधारक को सरकार, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाए जाने वाले अन्य करों, वसूली तथा दूसरी विधिक देयताओं का भुगतान भी करना होगा।
29. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप के आस-पास तथा परिसर में अन्य स्थलों पर लगे हुए पेड़-पौधों, झाड़ियों तथा पुष्पों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
30. लाइसेंसधारक संस्थान के संबंधित विभाग की पूर्व लिखित अनुमति के बगैर आउटलेट/शॉप में न तो किसी भी प्रकार का फेर-बदल (तोड़-फोड़) करेगा और न ही इसके अन्दर फिटिंग अथवा इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन को नुकसान पहुंचाएगा और न ही आउटलेट/शॉप के अन्दर अनधिकृत निर्माण अथवा विद्युत या जल आपूर्ति की लाइन में विस्तार करेगा।

## गुणवत्ता एवं स्वच्छता और साफ-सफ़ाई

31. लाइसेंसधारक खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता, ठंडे पेय जल की सतत आपूर्ति एवं ताज़ी खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता को बरकरार रखेगा। आउटलेट/शॉप में विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।
32. लाइसेंसधारक आउटलेट/शॉप में, गोदाम में तथा खाद्य वस्तुओं को तैयार व परोसते समय साफ-सफ़ाई का विशेष ध्यान रखेगा। साथ ही साथ फर्श, फर्नीचर, बर्तन, क्राकरी इत्यादि को भी साफ-सुथरा रखेगा ताकि आउटलेट/शॉप के मानक एवं सौंदर्य को बरकरार रखा जा सके। लाइसेंसधारक को खाद्य पदार्थों सहित सामग्री के सुरक्षित भण्डारण हेतु स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
33. आउटलेट/शॉप परिसर के अन्दर हवा एवं रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। आउटलेट/शॉप परिसर के बाहर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण अथवा सामान रखने की अनुमति नहीं होगी।
34. कूड़े-कचरे तथा अपशिष्ट पदार्थों की संस्थान के मानकों के अनुरूप व्यवस्था करनी होगी। हानिकारक कीड़े-मकोड़ों तथा चूहों को नियंत्रित करने की व्यवस्था नियमित अन्तराल में की जानी चाहिए।
35. पुराने बासी तथा इक्स्पायर्ड खाद्य पदार्थों को आउटलेट/शॉप के अन्दर रखने की अनुमति नहीं होगी।
36. प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है तथा किसी भी परिस्थिति में इनका प्रयोग नहीं होगा। इनके स्थान पर कागज़ के बैग / प्लेट्स / कप्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

## सीईएमएमसी एवं संपदा कार्यालय के दिशा-निर्देश

37. लाइसेंसधारक को अनुबंध व संपदा कार्यालय के दिशा-निर्देशों एवं सीईएमएमसी के माध्यम से निदेशक की संतुष्टि के अनुरूप कार्य करना होगा। सीईएमएमसी निम्नलिखित के संबंध में समय-समय पर अनुदेश, विस्तृत दिशा-निर्देश तथा अन्य स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।
  - (क) वृद्धि / विलोप अथवा विकल्प सहित व्यंजन सूची की दरों में कसी भी प्रकार का फेरबदल अथवा परिवर्तन।
  - (ख) लाइसेंसधारक द्वारा साइट से कोई सामान हटाना एवं उस सामान के बदले अन्य सामान लाना।
  - (ग) इसके पश्चात प्रदान किए गए प्रावधान के संदर्भ में उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति के काम से हटाना।
  - (घ) कच्ची सामग्री, अन्य उपकरणों एवं बर्तनों का निरीक्षण।
  - (ङ) उचित सफ़ाई, शुद्धता एवं स्वास्थ्यकर संबंधी वातावरण का रखरखाव।

## खाना पकाने के लिये ईंधन

38. लाइसेंसधारी खाना पकाने के लिए केवल PNG / Induction का उपयोग करेगा और कोई अन्य साधन नहीं। तदनुसार, लाइसेंसधारी सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड (CUGL) से वाणिज्यिक PNG कनेक्शन प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा, जिसके पास संस्थान परिसर में स्थापित PNG आपूर्ति लाइन है। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर का उपयोग केवल तब किया जा सकता है जब पीएनजी की आपूर्ति कुछ टूटने या कुछ अन्य कारणों से बाधित हो।

## कर्मियों की नियुक्ति

39. आउटलेट/शॉप संचालित करने के लिए लाइसेंसधारक केवल ऐसे कर्मियों को ही नियुक्त करेगा जो अपने कार्य में कुशल, अनुभवी, आज्ञाकारी, सुशील, व्यवहार कुशल एवं नियमों को मानने वाला हो।
40. लाइसेंसधारक बच्चों तथा 18 साल से कम उम्र के कर्मियों की नियुक्ति नहीं करेगा।
41. रात्रि 8 से सुबह 6 बजे के मध्य महिला कर्मियों को आउटलेट/शॉप के अन्दर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
42. आउटलेट/शॉप के अन्दर कार्य करने वाले कर्मियों को हमेशा अपने साथ पहचान पत्र रखना होगा। कर्मियों को यह पहचान पत्र लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के खर्च पर उपलब्ध कराना होगा। सुरक्षा कर्मियों एवं संस्थान के अन्य अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर आउटलेट/शॉप-कर्मियों को यह पहचान पत्र दिखाना होगा।
43. कार्य अवधि के दौरान आउटलेट/शॉप के अन्दर सेवाएं देने वाले कर्मियों को लाइसेंसधारक स्वयं के खर्च पर यूनिफॉर्म उपलब्ध करायेगा। कार्य-अवधि के दौरान कर्मियों को साफ-सुथरे एवं व्यवस्थित तरीके से हमेशा उक्त यूनिफॉर्म के पहनकर रखेगा।

44. कर्मियों द्वारा आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन कराने की जिम्मेदारी पूर्णतया लाइसेंसधारक की ही होगी।
45. लाइसेंसधारक आचरण तथा अनुशासन का कड़ाई से अनुपालन न करने वाले कर्मियों को आउटलेट/शॉप से निकालने के लिए बाध्य होगा तथा संस्थान प्रशासनिक अथवा अन्य कारणों से जिन कर्मियों को परिसर के अन्दर जारी रखना उपयुक्त नहीं समझता, उनके प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा।
46. लाइसेंस धारक अपने कर्मियों को काम में लगाने, हटाने, निलंबित, निष्कासित, छुटनी, बर्खास्ती एवं सेवामुक्त करने अथवा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए पूर्णरूप से स्वतंत्र होगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के संदर्भ में मालिक तथा नौकर के संबंधों के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा संस्थान का उल्लिखित मामलों में किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं रहेगा।
47. लाइसेंसधारक अपने कर्मियों से संबंधित ऐसे किसी भी विवाद अथवा मामले, जिनको किसी फोरम अथवा न्यायालय में चुनौती दी जाती है, के प्रति पूर्णरूप से उत्तरदायी होगा। लाइसेंसधारक को अन्य सांविधिक देयताओं के साथ-साथ उस समय लागू श्रम कानून के प्रावधानों के तहत देय समस्त देयताओं का भुगतान करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय के निर्णय के आधार पर नौकर-मालिक के संबंधों के कारण उत्पन्न अन्य समस्त प्रकार की देयताओं का भी लाइसेंसधारक को भुगतान करना होगा।
48. यदि लाइसेंस धारक के किसी कर्मियों की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों (चाहे जानबूझकर अथवा अनजाने में) की वजह से संस्थान की सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुँचता है तो इसकी भरपाई स्वयं लाइसेंसधारक को करनी होगी।

#### सांविधिक बाध्यताओं एवं अन्य प्रावधानों का अनुपालन

49. यह सर्वविदित है कि लाइसेंसधारक पर कई प्रकार के नियम एवं कानून लागू होते हैं और लाइसेंसधारक से यह उम्मीद की जाती है कि वह इन सभी नियम एवं कानूनों को अक्षरशः अनुपालन करेगा विशेषरूप से कर्मियों को न्यूनतम वेतन, कर्मचारी मुआवजा एवं जीएसटी आदि से संबंधित नियम एवं कानूनों के संबंध में।
50. लाइसेंस पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि वह परिसर के अन्दर ऐसा कोई भी उत्पाद नहीं बेचेगा जिसकी बिक्री सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 के तहत पूर्णरूप से प्रतिबंधित हो।
51. लाइसेंसधारक को श्रम कानून, कर्मचारी मुआवजा एवं न्यूनतम वेतन के साथ साथ नाप-तौल, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम सहित संस्थान द्वारा समय-समय पर लागू निर्देशों के अतिरिक्त समस्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। ठेका मिलने पर लाइसेंसधारक को एक सप्ताह के अन्दर FSSAI लाइसेंस के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना होगा एवं परिवीक्षा काल की समाप्ति से पूर्व लाइसेंस हासिल करना होगा। उल्लिखित लाइसेंस की एक प्रति संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।
52. लाइसेंसधारक को ऐसी आर्थिक क्षति की भरपाई करनी होगी जो समय-समय पर लाइसेंसधारक की गलती अथवा अन्य सांविधिक देयताओं के कारण उत्पन्न हो सकती है। इस क्षति में वेतन के रूप में कर्मियों की देयताएं, न्यायलय द्वारा दिया गया अर्थदंड एवं मुआवजा शामिल हो सकता है। यदि लाइसेंसधारक की विफलता के कारण संस्थान उक्त आर्थिक क्षति की भरपाई करता है तो ऐसी स्थिति में लाइसेंसधारक को संस्थान प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर संस्थान को इस राशि का भुगतान करना होगा। उल्लिखित राशि का भुगतान न करने की स्थिति में इस राशि की वसूली लाइसेंसधारक द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि से कर ली जाएगी।
53. संस्थान: सांविधिक प्रावधानों, नियमों और विनियमों, सरकारी प्राधिकारियों/नगर निगमों/ न्यायलयों/अदालतों के आदेशों एवं निर्देशों से संबंधित समस्त मामलों, दावों, देयताओं एवं कानूनी फैसलों के साथ-साथ इस अनुबंध के समस्त प्रावधानों से पूरी तरीके से मुक्त एवं सुरक्षित रहेगा। यदि लाइसेंसधारक की विफलता अथवा उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के कारण संस्थान को किसी भी प्रकार की देयता वहन करनी पड़ती है तो फिर संस्थान लाइसेंसधारक से वित्तीय देयताओं की वसूली करने के साथ साथ उसके विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई का निर्णय भी ले सकता है।
54. सी ई एम एम सी के अध्यक्ष से विचार-विमर्श के पश्चात प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा जारी किए गये समस्त दिशा-निर्देशों/अनुदेशों का लाइसेंसधारक द्वारा अनुपालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारक द्वारा सुरक्षा/संरक्षा एवं अनुशासन से संबंधित सुरक्षा अधिकारियों द्वारा जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों का भी पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

55. लाइसेंसधारक इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि न तो वह स्वयं और न ही उसका कोई कर्मचारी संस्थान परिसर के शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करेगा।

### जमा प्रतिभूति

56. लाइसेंसधारक को FDR के माध्यम से **₹.50,000/- (पचास हजार रुपये)** की प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी जो की 'कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी कानपुर' के पक्ष में होनी चाहिए तथा कानपुर स्थित भारतीय स्टेट बैंक / भारतीय यूनियन बैंक या किसी अन्य अनुसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में देय हो। उक्त FDR की वैधता निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 03 महीने की अवधि के लिए होनी चाहिए।
57. यदि किसी भी समय तथा किसी भी कारण से (जिसका कि पूर्व के अनुच्छेदों अथवा कहीं और पर उल्लेख किया गया हो) जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंसधारक को इस संबंध में नोटिस प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के अन्दर एक अन्य FDR जमा करके इस कमी को पूरा करना होगा।
58. यदि इस अनुबंध के अनुच्छेद(दो) के अतिरिक्त अन्य कारणों से भी जमा प्रतिभूति राशि में कोई कमी आती है तो लाइसेंस धारक संपूर्ण जमा प्रतिभूति के बराबर राशि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। निदेशक को (जैसा कि उनके द्वारा संस्थान के सर्वश्रेष्ठ हित में उपयुक्त समझा जाएगा) निम्नलिखित कार्रवाई करने का अधिकार होगा: अनुबंध को रद्द करना (जिसकी सूचना सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारक को दी जाएगी)। ऐसे मामले में लाइसेंसधारक द्वारा जमा प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इसके निपटारे का पूर्ण अधिकार संस्थान के पास होगा। इसके अतिरिक्त जमा प्रतिभूति से अधिक राशि की वसूली करने के लिए संस्थान उपयुक्त समझे जाने वाली कोई भी कानूनी कार्रवाई को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
59. यदि लाइसेंस धारक द्वारा इस अनुबंध की किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है जिसको संस्थान द्वारा गंभीरता से लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में संस्थान अपने विवेकाधिकार से लाइसेंस धारक द्वारा जमा की गई राशि को आंशिक अथवा पूर्णरूप में जब्त कर सकता है।

### शिकायत तंत्र

60. लाइसेंसधारक को आउटलेट/शॉप के अन्दर अनिवार्य रूप से शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करानी होगी जिसमें ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उक्त शिकायत पुस्तिका प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य-दिवस पर वार्डेन-इन-चार्ज के माध्यम से संपदा कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
61. लाइसेंसधारक द्वारा शिकायतों का निवारण प्राथमिक आधार पर किया जाएगा तथा शिकायत पुस्तिका सहित अनुपालन रिपोर्ट को संपदा कार्यालय में जमा करनी होगी।
62. लाइसेंसधारक को स्वयं की गलती एवं लापरवाही अथवा संस्थान या फिर सीईएमएमसी की ओर से शिकायत मिलने पर दण्ड अथवा अर्थदण्ड दिया जा सकता है। इस प्रकार का दण्ड शिकायत के स्वरूप के आधार पर प्रभारी अधिकारी (संपदा) द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रकार के मामलों में पहली बार ₹0 5,000, दूसरी बार ₹0 10,000 तथा तीसरी बार ₹0 20,000 या इस तरह के उच्च दंड जैसा की CEMMC / संस्थान द्वारा उचित समझा जाएगा की राशि का अर्थदंड लगाया जा सकता है।
63. इसके पश्चात भी यदि इसी प्रकार की शिकायतों का मिलना जारी रहता है तो फिर संस्थान इस संबंध में संबंधित लाइसेंसधारक को और अधिक नोटिस दिये बिना उसके अनुबंध को सीधे-सीधे समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

### अनुबंध की समाप्ति

64. कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोई भी कारण बताए बिना 30 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकती है।
65. अनुबंध के अन्दर उल्लिखित हर एक प्रावधान के संदर्भ में यह अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
66. यदि अनुबंध समाप्त किया जाता है या फिर यह समय से पूर्व समाप्त होता है तो लाइसेंसधारक को अनुबंध समाप्त होने से पूर्व 15 दिनों के अन्दर लाइसेंसधारी परिसर के खाली आधिपत्य को सौंपना होगा। यदि लाइसेंसधारक उल्लिखित अवधि के अन्दर परिसर के खाली आधिपत्य को सौंपने में विफल रहता है तो संस्थान को दंडात्मक शुल्क प्रथम महीने के लिए परिसर की मौजूदा सामान्य लाइसेंस शुल्क दर का @ 50 गुना शुल्क देना होगा जो की दूसरे महीने से टेलीस्कोपिक विधि में बढ़ेगा उदाहरणार्थ दूसरे महीने के लिए - हर्जाना + हर्जाने का

10%; तीसरे महीने के लिए - हर्जाना + हर्जाने का 20%; चौथे महीने के लिए - हर्जाना + हर्जाने का 40% और इसी तरह, अनधिकृत कब्जे के पहले महीने के दौरान लगाए गए हर्जाने की दरों की अधिकतम सीमा 5 गुना तक या इस तरह के उच्च दर पर दंड का भुगतान करने के लिए अनुबंधित होगा जो संस्थान द्वारा अपने पूर्ण विवेक पर निर्धारित किया जा सकता है। है। किसी भी परिस्थिति में दंडात्मक किराये पर प्रश्नचिन्ह नहीं किया जायेगा और यह इस अनुबंध की विशिष्ट शर्त है

67. इसके अतिरिक्त संस्थान के पास परिसर के अन्दर प्रवेश करने तथा इस अनुबंध के तहत लाइसेंस पर दिये गये परिसर पर आधिपत्य करने का पूर्ण अधिकार होगा और इसको कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जाएगी। उक्त परिस्थिति उत्पन्न होने पर लाइसेंसधारक से संबंधित समस्त सामान को जब्त कर लिया जाएगा तथा संस्थान के आदेश पर इस सामान को या तो बेच दिया जाएगा या फिर इसकी नीलामी कर दी जाएगी। यदि लाइसेंसधारक उल्लिखित स्थिति उत्पन्न होने पर संस्थान को परिसर का आधिपत्य नहीं सौंपता है तो फिर संस्थान अपनी स्वेच्छा से सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत किरायेदार बेदखली) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत लाइसेंसधारक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है क्योंकि कि संपूर्ण परिसर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत शासित किया जाता है।

### अभिहस्तांतरण और उपकिराएदारी

68. संस्थान की लिखित अनुमति के बगैर लाइसेंसधारक आवंटित परिसर अथवा इसके किसी भाग को अन्य किसी व्यक्ति के सुपुर्द नहीं करेगा और न ही इससे किसी प्रकार का लाभ इसके अंतर्गत हासिल करेगा। इस अनुबंध के तहत समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन स्वयं लाइसेंसधारक या फिर उसके अधिकृत एवं प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा किया जाएगा। लाइसेंसधारक अपने कर्मियों के कार्यों, गलतियों एवं लापरवाहियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त समस्त कार्यों के लिए लाइसेंसधारक स्वयं जिम्मेदार माना जाएगा।
69. यदि कभी भी यह पाया जाता है कि लाइसेंसधारक द्वारा स्वयं के विवेकाधिकार (निर्णय) पर आउटलेट/शॉप को किराये पर अथवा किसी अन्य संस्था के सुपुर्द किया गया हो एवं इसके पश्चात दिये गये परिसर को वापस ले लिया हो तथा/अथवा किसी दूसरी पार्टी को हस्तांतरित कर दिया हो तो अनुबंध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा और आवंटित परिसर को संस्थान अपने कब्जे में ले लेगा।
70. भाड़े में दिए जाने की स्थिति साबित होने पर प्रथम महीने में हर्जाने की दरों की गणना दुगने हर्जाने के रूप में की जाएगी (जैसा की खण्ड 66 में वर्णित है); द्वितीय महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + दुगने हर्जाने का 10%; तीसरे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + दुगने हर्जाने का 20%; चौथे महीने के लिए हर्जाने का दो गुना + दुगने हर्जाने का 40% और इसी तरह, ऐसे मामलों में हर्जाने का अधिकतम 5 गुना तक सीमित।
71. आउटलेट/शॉप का समस्त कारोबार लाइसेंसधारक के नाम एवं उसके आदेश पर ही निष्पादित किया जाएगा।
72. लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत/सक्षम प्रतिनिधि आउटलेट/शॉप में हर समय उपलब्ध रहेंगे उसकी सूचना संपदा कार्यालय को पहले से लिखित में दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आउटलेट/शॉप का कारोबार किसी अन्य व्यक्ति अथवा कंपनी द्वारा नहीं किया जाएगा।
73. आमतौर पर लाइसेंसधारक अथवा उसके अधिकृत सक्षम व्यक्ति को आउटलेट/शॉप में मौजूद रहना होगा। हालांकि यदि किसी कारण से लाइसेंसधारक लगातार तीन महीने से अधिक समय तक आउटलेट/शॉप आने की स्थिति में नहीं है तो इस संबंध में संपदा कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि लाइसेंसधारक द्वारा अनुबंध की अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन किया गया है तथा इस स्थिति में उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई में संस्थान के निर्णयानुसार पर्याप्त अर्थदंड भी शामिल हो सकता है।

### अनुबंध दस्तावेज एवं अन्य व्याख्याएं

74. मूल अनुबंध संबंधी दस्तावेज संस्थान के पास रहेंगे। हालांकि यदि लाइसेंसधारक चाहे तो अनुबंध संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति अपने पास रख सकता है।
75. अनुबंध संबंधी कई दस्तावेज एक-दूसरे के लिए परस्पर स्पष्ट किये गये हैं। हालांकि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं विसंगति उत्पन्न होने पर इसका स्पष्टीकरण (दिशा-निर्देशों सहित यदि कोई है) संस्थान द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से लाइसेंसधारक को प्रेषित किया जाएगा तथा इस स्पष्टीकरण को अंतिम एवं बाध्यकारी माना जाएगा एवं उक्त स्पष्टीकरणों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।

**अधिकार क्षेत्र**

76. इस अनुबंध के तहत सभी मामले और विवाद केवल कानपुर नगर जिला अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर .....

निविदाकर्ता का पूरा नाम .....

पता .....

.....

निविदाकर्ता  
की  
नवीन तस्वीर

संस्थान में स्थित हॉल-7 में कैंटीन चलाने हेतु  
आवेदन पत्र

अनुलग्नक-1

भाग-1

निविदाकर्ता का नाम \_\_\_\_\_  
पिता का नाम \_\_\_\_\_  
निविदाकर्ता का पता \_\_\_\_\_  
टेलीफोन / मोबाइल नंबर \_\_\_\_\_  
ईमेल \_\_\_\_\_  
आधार नंबर (व्यक्ति की दशा में) \_\_\_\_\_  
बयाना राशि का विवरण \_\_\_\_\_  
(क) धनराशि \_\_\_\_\_  
(ख) एफ़डीआर/टीडीआर/डीडी नंबर \_\_\_\_\_  
(ग) दिनांक \_\_\_\_\_  
(घ) बैंक और उसकी शाखा \_\_\_\_\_  
जीएसटी नंबर \_\_\_\_\_  
पैन नंबर \_\_\_\_\_  
ईपीएफ़ कोड नंबर (यदि हो) \_\_\_\_\_  
ईएसआई कोड नंबर (यदि हो) \_\_\_\_\_  
कार्य अनुभव (वर्ष में) \_\_\_\_\_

निविदाकर्ता अपनी  
पासपोर्ट आकार की  
फोटो यहाँ चिपकाएं

गारंटर के रूप में दो जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम और पता

नाम \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

आधार नंबर \_\_\_\_\_

आधार नंबर \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**घोषणा:**

मैं एतद घोषणा करता हूँ-

1. यदि उक्त परिसर में कोई नुकसान हो तो मैं सभी खर्चों का वहन करूंगा।
2. कि जब भी कोई नोटिस कैंटिन परिसर को खाली करने का दिया जाता है तो मैं उक्त परिसर को तत्काल खाली कर संस्थान को सौंप दूंगा।
3. कि मैं इस निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तों को मनाने के लिए बाध्य हूँ।

दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

\_\_\_\_\_

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

**भाग-2**

**निविदाकर्ता द्वारा भरा जाएगा**

यदि निविदाकर्ता एक फर्म है।		यदि निविदाकर्ता एक व्यक्ति है।	
आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर: _____		आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्र / पैन नंबर: _____	
पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		पंजीकृत फर्म के पिछले एक साल के बैंक स्टेटमेंट दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र / संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
फर्म पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		फर्म पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
कर्मचारियों की संख्या _____		कर्मचारियों की संख्या _____	
ईपीएफ पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		ईपीएफ पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
ईएसआईसी पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		ईएसआईसी पंजीकरण संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
अनुभव के वर्षों की संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं		अनुभव के वर्षों की संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	
क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है? हाँ / नहीं _____		क्या कभी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और प्रतिष्ठित संस्थान में काम किया है? हाँ / नहीं _____	
सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और संस्थान के नाम जहां आखिरी में / वर्तमान में काम कर रहे हैं।		सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय और संस्थान के नाम जहां आखिरी में / वर्तमान में काम कर रहे हैं।	
संस्थान का नाम	अनुभव वर्ष	संस्थान का नाम	अनुभव वर्ष
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
अन्य वैधानिक पंजीकरण / लाइसेंस, यदि कोई हो।		अन्य वैधानिक पंजीकरण / लाइसेंस, यदि कोई हो।	
फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण पत्र संलग्न करें : हां / नहीं		फर्म की तरफ से बोली लगाने वाले व्यक्ति के मामले में, प्राधिकरण पत्र संलग्न करें : हां / नहीं	
एफडीआर/टीडीआर/डीडी संख्या: _____ जारीकर्ता बैंक का नाम: _____ जारी करने की तारीख: _____		एफडीआर/टीडीआर/डीडी संख्या: _____ जारीकर्ता बैंक का नाम: _____ जारी करने की तारीख: _____	
		आधार संख्या: _____ दस्तावेज़ संलग्न: हां / नहीं	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर



# भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

सम्पदा कार्यालय

उदाहरणात्मक वस्तुएँ जो कि दुकान में बेची जा सकती हैं

S.No.	Name of items	Unit	Price
<b>DRINK</b>			
1.	Tea	100 ml	
2.	Black Tea	100 ml	
3.	Lemon Tea	100 ml	
4.	Coffee	100 ml	
5.	Black Coffee	100 ml	
6.	Plain Milk	200 ml	
<b>COLD DRINKS/BEVERAGES</b>			
7.	Ice Tea	100 ml	
8.	Jal-jeera	200 ml	
9.	Cold bournvita	200 ml	
10.	Cold Coffee	200 ml	
11.	Lemonade	200 ml	
12.	Cold drink (all popular brands of Coca-Cola, Pepsi & Amul)	As per MRP	
<b>SANDWICHES OF TWO SLICES</b>			
13.	Tomato Cheese Sandwich	Per piece	
14.	Egg Cheese Sandwich	Per piece	
15.	Sweet corn cheese Sandwich	Per piece	
16.	Bombay Sandwich	Per piece	
17.	Paneer Sandwich	Per piece	
18.	Cheese Sandwich	Per piece	
<b>VEG MEAL AND SNACKS</b>			
19.	Pasta	Per piece	
20.	Momos	Per piece	
21.	Veg Roll	Per piece	
22.	Paneer Roll	Per piece	
23.	Veg Cutlet (100 gm)	Per piece	
24.	Potato (tikia 75 gms)	Per piece	
25.	Masala Dosa	Each	
26.	Plain Dosa	Each	
27.	Paneer Dosa	Each	
28.	Uttappam	Each	
29.	French Fries	100 gram	
30.	Veg Burger	Per piece	
31.	Cheese Burger	Per piece	
32.	King size Burger	Per piece	

S.No.	Name of items	Unit	Price
33.	Maggi (veg)	Rs. 10/- pckt.	
34.	Special Maggi fry	Rs. 10/- pckt.	
35.	Veg. Chowmein	150 gram	
36.	Third party packaged items like chips (lays, uncle chips, haldiram etc.)	As per MRP	
37.	Idli	Per piece	
38.	Pav Bhaji with 4 slices of pav	Each plate	
39.	Chilli paneer	150 gram	
40.	Veg. Manchurian	150 gram	
41.	Aloo Matar (fry)	150 gram	
42.	Shahi Paneer	150 gram	
43.	Matar Paneer	150 gram	
44.	Malai Kofta	150 gram	
45.	Paneer Bhujia	120 gram	
46.	Mixed Veg.	150 gram	
47.	Mashroom veg	150 gram	
48.	Dal fry	150 gram	
49.	Veg fried Rice	150 gram	
50.	Plain Rice	150 gram	
51.	Lemon Rice	150 gram	
52.	Fried/Veg Rice	150 gram	
<b>NON-VEG MEAL AND SNACKS</b>			
53.	Chicken Roll	Per piece	
54.	Omelette (single egg)	Each	
55.	Omelette (double egg)	Each	
56.	Egg dosa	Each	
57.	Maggi (non-veg; egg)	Rs. 10/-pckt.	
58.	Egg Chowmein	150 gram	
59.	Egg Curry	150 gram	
60.	Chicken Tikka	Per piece	
61.	Chicken Kalimirch	Per piece	
62.	Chicken Roasted	Per piece	
63.	Chicken Curry	180 gram	
64.	Green Chilly Chicken (Dry)	150 gram	
65.	Chicken Butter Masala	180 gram	
66.	Chicken Kassa	150 gram	
67.	Fish Tikka	Per piece	
68.	Fish Fry & Cutlet	Per piece	
69.	Chicken Dum Biryani	150 gram	
70.	Chicken Butter Rice	150 gram	
71.	Chicken Fried Rice	150 gram	
<b>PARATHA &amp; ROTI</b>			

S.No.	Name of items	Unit	Price
72.	Roti	Per piece	
73.	Tandoori roti	Per piece	
74.	Missi Roti	Per piece	
75.	Rumali Roti	Per piece	
76.	Lachchha Paratha	Per piece	
77.	Plain Paratha	Per piece	
78.	Aloo Paratha	Per piece	
79.	Paneer Paratha	Per piece	
80.	Cheese Paratha	Per piece	
81.	Onion/Gobi Paratha	Per piece	
<b>SPECIAL SNACK</b>			
82.	Mumbai Bhel	100 gram	
83.	Kolkata Jhal-muri	100 gram	
84.	Chennai Wada	100 gram	
85.	Delhi Chat	100 gram	
<b>SOUP</b>			
86.	Totamo	200 ml	
87.	Veg	200 ml	
88.	Special Thali containing 2 type of vegetables, rice, salad, dal, 4 chapati & sweet dish (mention sweet dish name and quantity)	Per Thali	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

निविदाकर्ता का नाम \_\_\_\_\_

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

वित्तीय बोली

संस्थान में स्थित हॉल-7 में कैटीन चलाने हेतु

- अ) अधोहस्ताक्षरी, इसके द्वारा, प्रश्नगत परिसर के लिए रु० \_\_\_\_\_ प्रति वर्ग मीटर लाइसेंस शुल्क के भुगतान का प्रस्ताव देता है, जैसा कि बोली दस्तावेज में इंगित है।
- ब) मैं इससे सहमत हूँ कि लाइसेंसधारक (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर) परिसर के कुल क्षेत्रफल के अनुसार लाइसेंस शुल्क को अगले सौ रुपये के गुणांक में राउंड ऑफ करने का अधिकार होगा।
- स) मैं इससे भी सहमत हूँ कि लाइसेंसधारक विधिवत रूप से प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क में 5% की वृद्धि के हकदार होंगे जो कि पूर्व कि भांति (जैसा कि ऊपर 'ब' में गणना की गई है) राउंड ऑफ किया जायेगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

निविदाकर्ता का नाम \_\_\_\_\_